कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान उच्च न्यायालय–जयपुर में दायर **एस. बी. रिट संख्या 17594/2016** श्रीमती खेलन्ती मीणा, प्रधानाध्यापक रा0 बालिका मावि0, कुस्तला जिला सवाई माधोपुर बनाम सरकार में माननीय् न्यायालय–जयपुर के **स्थगन–आदेश दिनांक 22–12–2016** के द्वारा विभागीय स्थानान्तरण सम्बधी **आदेश दिनांक 20–10–2016 का क्रियान्वयन**, याचिकार्थी (श्रीमती खेलन्ती मीणा प्रधानाध्यापक) के सम्बन्ध में माननीय् उच्च न्यायालय–जयपुर के अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है।

साथ ही श्रीमती खेलन्ती मीणा के सन्दर्भ में जारी विभागीय आदेशांक :: शिविरा/माध्य/संस्था/बी–1/45001/स्था –समा/2016–17/एसपी–1 दिनांक 23–02–2017 को श्रीमती खेलन्ती मीणा की हद तक एतद् द्वारा, प्रत्याहरित किया जाकर, रामावि0 डीडवाडी बौली जिला सवाई माधोपुर में किया गया इनका पदस्थापन निरस्त किया जाता है।

याचिका में दिए जाने वाले आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन श्रीमती खेलन्ती मीणा, प्रधानाध्यापक रा0 बालिका मा वि, कुस्तला (सवाई माधोपुर) मे एवं श्री विजेन्द्र पाल, प्रधानाध्यापक, रामावि, डिडवाडी बौली (सवाई माधोपुर) में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहेगें।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/मा/संस्था/बी–1/याचिका–17594/खेलन्ती मीणा/2016 दिनांक – 29.5.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् प्रेषित है :–

1 उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर
2 सिस्टम एनालिस्ट कम संयुक्त निदेशक,कार्यालय हाजा को सम्बन्धित पृष्ठांकितों को ईमेल हेतु ।
3 संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–I/II) को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश के कियान्वयन की कार्यवाही करा अवगत करावें ।
5 जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक विधि) जयपुर को पाबन्द किया जाता है कि प्रकरण में प्रभावी प्रतिरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
6 अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7 संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित शिक्षा–अधिकारी को पालनार्थ।
8 निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर